न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड़
आर. ए. एस.

प्रकरण अपील संख्या : 49/2020

हवासिंह पुत्र शंकर उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी भालोठ, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। — प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू। — रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम हवासिंह अ0 धारा 91एल0आर0एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 88/2020 निर्णय दिनांक 17.08.2020

उपस्थिति :—

1. अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गिल .....अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैनी ..... राज0सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 02.03.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.08.2020 सरकार बनाम हवासिंह मुकदमा नम्बर 88/2020 अ0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट 1956, न्यायालय तहसीलदार बुहाना के पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य यह है कि निर्णित योग्य अधीनस्थ अदालत तहसीलदार बुहाना खिलाफ कानुन व मनमानी होने के कारण निरस्त है। हल्का पटवारी ने दिनांक 13.07.2020 को अपनी रिपोर्ट में वर्णन किया कि अपीलार्थी 20 वर्ष से पुख्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.02 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

मकानात बनाकर आबाद है अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर अपनें पूर्वजों के समय से रिहायश कर रहा है अर्थात अपीलार्थी के पूर्वज आजादी से पूर्व से उक्त भूमि पर रिहायश कर रहे है अर्थात अपीलार्थी भू राजस्व अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से उक्त भूमि पर आबाद है भू राजस्व का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के पूर्व से आबाद है उसको समरी कार्यवाही से बेदखल नही किया जा सकता है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज 60 साल से अधिक समय से उक्त भूखण्ड में रिहायश कर रहे है। अपीलार्थी के पास ग्राम भालोठ में रिहायश का दुसरा भूखण्ड नही है उक्त भूखण्ड में 20 साल से अधिक समय का विधुत व पानी का कनेक्शन है पूर्व में टेलीफोन का कनेक्शन भी था। उक्त जगह जहां अपीलार्थी बसा हुआ है वहां गहन आबादी है। सरकार की तरफ से सड़के, विधुत व पानी की लाईने डली हुई हैं। अपीलार्थी के पूर्वज आरम्भ से ही इसी भूखण्ड में रहते रहे है अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नही आता है। अपीलार्थी के विरूद्ध पटवारी हल्का ने 20 वर्ष की रिपोर्ट गलत दर्ज की है जबकि अपीलार्थी 60 साल से अधिक समय से उक्त भूमि पर आबाद है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने गलत दर्ज किया है कि अपीलार्थी का प्रकरण काबिले नियमन नही है समय समय पर जो नियमन के सरकुलर आये उस हिसाब से प्रार्थी का प्रकरण नियमन की श्रेणी में आता है नियमन में भूमि कि किस्म भी बाधा नही है अपीलार्थी ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण नही किया है अधिनस्थ अदालत ने अतिक्रमण मानने में गलती कानुनी की है। अपीलार्थी के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समग्र रूप से साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। उक्त भूमि गांव की आबादी से सटकर ही है जिसको गांव से अलग करके नही देखा जा सकता है जब से गांव भालोठ आबाद हुआ तब से अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि में आबाद रहे है। इसलिए अपीलार्थी को अतिक्रमी नही माना जा सकता है अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही गलत रूप से की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के आदेश दिनांक 17.08.2[illegible] को खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.02 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत तलब होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि– हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2020 में दर्ज किया है कि अपीलार्थी 20 वर्ष से पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर अपनें पूर्वजों के समय से रिहायश कर रहा है अर्थात अपीलार्थी के पूर्वज आजादी से पूर्व से उक्त भूमि पर रिहायश कर रहे है । अपीलार्थी भू राजस्व अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से उक्त भूमि पर आबाद है। भू राजस्व का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के पूर्व से आबाद है । उसको समरी कार्यवाही से बेदखल नही किया जा सकता है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज 60 साल से अधिक समय से उक्त भूखण्ड में रिहायश कर रहे है। अपीलार्थी के पास ग्राम भालोठ में रिहायश का दुसरा भू–खण्ड नही है उक्त भूखण्ड में 20 साल से अधिक समय का विधुत व पानी का कनेक्शन है पूर्व में टेलीफोन का कनेक्शन भी था। उक्त जगह जहां अपीलार्थी बसा हुआ है वहां गहन आबादी है। सरकार की तरफ से सड़के, विधुत व पानी की लाईने डली हुई हैं। अपीलार्थी के पूर्वज आरम्भ से ही इसी भूखण्ड में रहते रहे है अपीलार्थी का प्रकरण अतिकमण की तारीफ में नही आता है। अपीलार्थी के विरूद्ध पटवारी हल्का ने 20 वर्ष की रिपोर्ट गलत दर्ज की है जबकि अपीलार्थी 60 साल से अधिक समय से उक्त भूमि पर आबाद है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने गलत दर्ज किया है कि अपीलार्थी का प्रकरण काबिले नियमन नही है समय समय पर जो नियमन के सरकुलर आये उस हिसाब से प्रार्थी का प्रकरण नियमन की श्रेणी में आता है नियमन में भूमि कि किस्म भी बाधा नही है अपीलार्थी ने अनाधिकृत रूप से अतिकमण नही किया है अधिनस्थ अदालत ने अतिकमण मानने में गलती की है। अपीलार्थी के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समग्र रूप से साक्ष्य पेश करने का अवसर नही दिया जो न्याय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.02 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। उक्त भूमि गांव की आबादी से सटकर ही है जिसको गांव से अलग करके नही देखा जा सकता है जब से गांव भालोठ आबाद हुआ तब से अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि में आबाद रहे है। इसलिए अपीलार्थी को अतिक्रमी नही माना जा सकता है अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही गलत रूप से की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के आदेश दिनांक 17.08.2020 को खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि पटवारी हल्का भालोठ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 674 कुल रकबा 2.20 है0, किस्म गै0मु0 बंजड़ के रकबा 0.02 हैक्टर पर मकान व चार दिवारी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पटवारी हल्का भालोठ की रिपोर्ट दिनांक 13.07.2020 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 674 कुल रकबा 2.20 है0, किस्म गै0मु0 बंजड़ के रकबा 0.02 हैक्टर पर मकान व चार दिवारी कर करीब 20 वर्ष पूर्व से कब्जा कर अतिक्रमण होना बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से पुराने कब्जे के संबंध में विवादित भूमि पर अपीलांट के नाम से विद्युत कनेक्शन एवं आबादी विस्तार के संबंध में ग्राम पंचायत भालोठ के प्रस्ताव आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत हुई है। जिनसे विवादित भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा होना प्रतीत होता है। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 बंजड़ है, जो नियमन में बाधा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने अपने निर्णय में इस संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी गई है कि अपीलांट का अतिक्रमण काबिले नियमन क्यों नहीं है। अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर वे 60 वर्ष से भी अधिक समय से पक्के मकानात बनाकर आबाद है, बिजली पानी कनेक्शन है, उनके पास रिहायश के लिये अन्य कोई भूमि नहीं है। विवादित भूमि के नियमन में कोई बाधा नहीं है। ऐसी स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.02 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2020 उनवानी सरकार बनाम हवासिंह मु0नं0 88/2020 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही की जावे। अगर उक्त भूमि नियमन योग्य है तो नियमन की कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.3.21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.02 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested